

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012023-241889 CG-DL-E-11012023-241889

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2023/पौष 21, 1944

No. 191

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023/PAUSHA 21, 1944

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 20.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ढ)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में मुख्य विधि अधिकारी, अपर मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी, अपर मुख्य विधि अधिकारी भर्ती और सेवा की शर्ते नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इसमें संलग्न वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता- वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. अधिवर्षिता- मुख्य विधि अधिकारियों और विधि अधिकारियों की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी और जिस मास में वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, उस मास के अंतिम दिन के अपराहन को वे सेवा से निवृत्त होंगे:
- 7. ज्येष्ठता: विधि अधिकारियों की ज्येष्ठता निम्नलिखित नियमों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात्:-
 - (1) ऐसे सभी अधिकारी, जो उच्चतर रैंक धारण किए हुए हैं, निम्नतर रैंक धारण करने वाले अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे।
 - (2) किसी विशिष्ट रैंक में, किसी पद पर नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन के अनुक्रमानुसार अवधारित की जाएगी।
 - (3) उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समान रैंक धारण करने वाले अधिकारियों में से परस्पर ज्येष्ठता निम्नानुसार होगी:-
 - (क) एक ही दिन में प्रोन्नत किए गए अधिकारियों की ज्येष्ठता उसी क्रम में अवधारित होगी जिसमें उन्हें उस रैंक में प्रोन्नति के लिए चयनित किया गया है;
 - (ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता 'संयुक्त' ज्येष्ठता के क्रमानुसार व्यवस्थित की जाएगी, जिसमें सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में उनके द्वारा अभिप्राप्त अंकों को जोड़ने के बाद और सीमा सुरक्षा बल के बुनियादी व्यावसायिक पाठ्यक्रम 50:50 के अनुपात में अवधारित की जाएगी;
 - (ग) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में, नियुक्ति की तारीख नियुक्ति के प्रस्ताव में उल्लिखित स्थान में शामिल होने की तारीख होगी;
 - (घ) यदि दो या दो से अधिक अधिकारियों ने संयुक्त योग्यता में समान अंक प्राप्त किए हैं, तो उनकी योग्यता के क्रम को उनकी जन्म की तारीख के क्रम के अनुसार माना जाएगा;

- (ङ) चयन के बाद प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने में देरी के मामले में ज्येष्ठता निम्नानुसार होगी: -
 - (i) मंत्रालय या विभाग द्वारा जारी किया गया नियुक्ति का प्रस्ताव, नियुक्ति के प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार सप्ताह की अविध के लिए विधिमान्य होगा, जिसके बाद नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाएगा;
 - (ii) यदि, चार'सप्ताह की निर्दिष्ट अवधि के भीतर, समय विस्तार के लिए अभ्यर्थी से अनुरोध प्राप्त होता है और गृह मंत्रालय से उचित विचार के बाद, उन्हें चार सप्ताह के अतिरिक्त अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए विस्तार दिया जा सकता है, यदि तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसा करना आवश्यक समझती हैं और जो अभ्यर्थी छह सप्ताह की अवधि के भीतर शामिल होते हैं, उनकी ज्येष्ठता खंड (ग) के अनुसार तय की जाएगी;
 - (iii) खंड (ii) में बताए अनुसार दो सप्ताह के विस्तार के दिए जाने के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय के भीतर रिपोर्ट करने में विफल रहता है, (जो छह सप्ताह की अविध से अधिक नहीं होगी), तो नियुक्ति का प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाएगा;
 - (iv) नियुक्ति का प्रस्ताव जो समाप्त हो गया है, सामान्यत: पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के और जनहित के आधार पर लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, और केवल गृह मंत्रालय का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के बाद;
 - (v) जहां खंड (iv) के अनुसार नियुक्ति के प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया जाता है, संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता अगली चयन परीक्षा के अभ्यर्थियों से ऊपर तय की जाएगी, लेकिन, यदि ऐसा अभ्यर्थी अगले चयन परीक्षा के किसी भी अभ्यर्थी के बाद शामिल होता है, तो उसे ऐसे अंतिम अभ्यर्थी से नीचे रखा जाएगा;
- (च) प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने में देरी के मामले में ज्येष्ठता खंड (ङ) के मद (i), (ii) और (iii) के उपबंधों के अनुसार तय की जाएगी।
- 4. किसी विशेष रैंक में पुनर्नियोजित अधिकारियों की ज्येष्ठता उस रैंक में उनके पुनर्नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जाएगी।
- 8. चिकित्सा दृष्टया योग्यता.- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप- I में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियक्ति के लिए पात्र होंगे।
 - (2) शेप-। से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है-
 - (क) कोड अक्षर SHAPE द्वारा उपदर्शित कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारण करने के बाद चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण निम्नलिखित को दर्शाता है: -
 - S मनोवैज्ञानिक
 - H श्रवण क्षमंता
 - A एपेंडेजेज
 - P शारीरिक क्षमता
 - E दृष्टि क्षमता

- (ख) एक अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता को प्रेत्यक कारक के अधीन प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 तक दर्शाया जाएगा, जो घटती कार्यात्मक क्षमता को दर्शाता है और अंकों को कोड अक्षर के आगे लिखा जाएगा, सिवाय उस स्थिति में जहां सभी कारकों में कोई अधिकारी ग्रेड- I में है, तो उसकी श्रेणी को S₁H₁A₁P₁E₁ लिखने के बजाय SHAPE-I लिखकर दर्शाया जा सकता है। इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन इस प्रकार है,-
 - (i) कहीं भी सभी ड्यूटी के लिए योग्य;
 - (ii) सभी ड्यूटी के लिए योग्य, किन्तु ड्यूटी के खास प्रकार तथा नियोजनीयता के क्षेत्र में, वह इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि ड्यूटी पर अत्यधिक तनाव या दोनों आंख और कान का दिक् शक्ति या श्रवण शक्ति का अत्यधिक उपयोग क्षमता अंतवर्णित है, तो निर्बंधन हो सकती हैं;
 - (iii) "एस" कारक को छोड़कर, नियमित या स्थिर ड्यूटी के लिए योग्य, किन्तु उच्च ऊंचाई (2,700 मीटर से ऊपर) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों और लंबे समय तक कार्य करने के लिए नियोजन निर्वंधन हो सकती हैं;
 - (iv) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी की छुट्टी के कारण ड्यूटी के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।
 - (v) ड्यूटी के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।
- 9. वर्दी और बुनियादी प्रशिक्षण- इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त व्यक्तियों को सीमा सुरक्षा बल नियमावली खंड-VII में निर्दिष्ट वर्दी पहननी होगी और सिविल पदों या बार से नियुक्त व्यक्तियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति पर विधि, ऑफिस प्रोसीजर, लेखा और ऐसे अन्य विषयों का बुनियादी प्रशिक्षण चौबीस सप्ताह में सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, जो महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा अवधारित की जाए।
- 10. विदेशियों की अपात्रता- कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित रूप में पूर्व अनुमित के बिना, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:
 - परंतु इस नियम में अतर्विष्ट कोई बात, बल में नेपाल या भूटान के प्रजा की नियुक्ति या रोजगार को वर्जित नहीं करेगी।
- 11. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 12. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. मुख्य विधि अधिकारी/ महानिरीक्षक	*01 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 14 (144200- 218200 रुपये)।

चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक
पद	व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों दशा में लागू होंगी या नहीं।	कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।
(8) लागू नहीं होता	(9) अधिवर्षिता की आयु से पहले पुनर्नियोजित अधिकारियों के लिए दो वर्ष।	(10) प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति । भूतपूर्व सैनिकों के लिए: पुनर्नियोजन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(1.1)

 प्रोम्नित द्वारा : - ऐसे अपर मुख्य विधि अधिकारी/उप महानिरीक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए (131100-216600 रुपये) में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित समूह 'क' में कुल चौबीस वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे किनशों व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

- प्रितिनेयुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर
 13ए (131100-216600 रुपये) में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित समूह 'क ' में कुल चौबीस वर्ष सेवा की है:
- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है;

या

(ख) (i) संघ के सशस्त्र बलों में न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग में मेजर जनरल या समतुल्य रैंक के ऐसे अधिकारी जिन्होंने समूह "क" में न्यूनतम चौबीस वर्ष सेवा की हो या जिसके पास सशस्त्र बलों संबंधी विशेष विधि के अधीन विचारण के अतिरिक्त संबद्ध न्यायालय मामलों के निपटान में बीस वर्ष का विधिक अनुभव हो;

या

(ii) ऐसे विधि स्नातक जिनके पास सशस्त्र बलों संबंधी विशेष विधि के अधीन विचारण के अतिरिक्त संबद्ध न्यायालय

मामलों के निपटान में बीस वर्ष से अन्पून अवधि के लिए राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में विधिक अनुभव हो और जो जिला न्यायाधीश या समतुल्य पदधारण किए हुए हों;

या

(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी जिनके पास विधि में डिग्री हो और सशस्त्र बलों संबंधी विशेष विधि के अधीन विचारण के अतिरिक्त संबद्ध न्यायालय मामलों के निपटान में बीस वर्ष से अन्पून का विधिक अनुभव हो और जो आठ वर्ष से अन्पून अविध तक अपर विधि सलाहकार या समतुल्य पद धारण किए हुए हों।

टिप्पण -1: पोषक श्रेणी के विभागीय अभ्यर्थी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण -3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:

III. पुनर्नियोजन: - (i) सशस्त्र बल के मेजर जनरल या समतुल्य रैंक के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं है, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है; उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है;

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।			
(12)			(13))	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें		लागू नहीं होता।			
निम्नलिखित होंगे: -					
(1) गृह सचिव गृह मत्रालय	- अध्यक्ष;		·		·
(2) विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) गृह मंत्रालय	-सदस्य;		٠		
(3) महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;				
(4) अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से एक महानिदेशक(अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट)	- सदस्य ।	and the state of t			·

विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुनर्नियोजित अधिकारियों पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -

(1) गृह सचिव

- अध्यक्ष;

गृह मंत्रालय

(2) विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)

- सदस्य;

गृह मंत्रालय

(3) महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल - सदस्य:

(4) अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से - सदस्य। एक महानिदेशक (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट)

(1)	(2)	(3)	(4)
2. अपर मुख्य विधि	03*(2023)	साधारण केन्द्रीय सेवा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
अधिकारी/ उप	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	समूह "क" राजपत्रित-	13ए
महानिरीक्षक	जा सकता है।	। अननुसचिवीय (योधक)	(131100-216600
			रुपये)

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	

 $(1 \ 1)$

।) प्रोप्तित द्वारा : - ऐसे सेवारत विधि अधिकारी श्रेणी-। / कमांडेंट जिन्होनें वेतनमान स्तर 13 (123100-215900 रुपये) में दो वर्ष नियमित सेवा सहित समूह "क" में कुल पन्द्रह वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठों व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

- प्रतिनियुक्ति द्वारा:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी:
- जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हुआ हो; (क)

या

(ख) (i) संघ के सशस्त्र बलों में न्यायाधीश महाधिवक्ता के विभाग में ब्रिगेडियर या समतुल्य रैंक के ऐसे अधिकारी जिन्होंने सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि, साथ ही साथ संबंधित न्यायालय मामलों के अधीन विचारण से संबंधित अठारह वर्ष के विधिक कार्यों में विधिक अनुभव के साथ कम से कम बीस वर्ष की अवधि के लिए समूह "क" सेवा की हो;

या

(ii) राज्य न्यायिक सेवा के ऐसे संदस्य जिन्होंने सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि, साथ ही साथ संबंधित न्यायालय मामलों के अधीन विचारण से संबंधित अठारह वर्ष के विधिक अनुभव के साथ कम से कम बीस वर्ष की अवधि के लिए समूह "क" सेवा की हो और जो जिला न्यायाधीश या समतुल्य पद धारण किए हुए हो;

या

(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी जिनके पास विधि में डिग्री है और जिन्होंने सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि, साथ ही साथ संबंधित न्यायालय मामलो के अधीन विचारण से संबंधित अठारह वर्ष के विधिक अनुभव के साथ कम से कम बीस वर्ष की अविध के लिए समूह "क" सेवा की हो और जो कम से कम आठ वर्ष की अविध से अपर विधि सलाहकार या समतुल्य पद धारण किए हुए हो।

टिप्पण -1: पोषक श्रेणी के विभागीय अभ्यर्थी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु -सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	(12) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -			(13)	
				लागू नहीं होता।	
(1)	सचिव/अपर सचिव गृह मंत्रालय	- अध्यक्ष;			
(2)	महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;			
(3)	अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से एक महानिदेशक (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट)	- सदस्य;			
(4)	मुख्य विधि अधिकारी/महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य ।			

(1)	(2)	(3)	(4)
3. विधि अधिकारी	13* (2023)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स मे
ग्रेड- I /कमांडेंट		अननुसचिवीय (योधक)	स्तर 13
	* कार्यभार के आधार पर		(123100-
	परिवर्तन किया जा सकता है।		215900 रुपये)

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	अधिवर्षिता की आयु से	(i) 60% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
	पहले पुनर्नियोजित अधिकारियों के लिए दो	(ii) 40% प्रतिनियुक्ति द्वारा।
	वर्ष।	पूर्व सैनिकों के लिए:
		पुनर्नियोजन

 $(1 \ 1)$

प्रोमित द्वारा : - ऐसे सेवारत विधि अधिकारी श्रेणी-II / उप कमांडेंट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रुपये) में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण: जहां ऐसे किन छों व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

- ।।. प्रतिनियुक्ति द्वारा:- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:
- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है;

या

(ख) (i) ऐसे विधि स्नातक जिन्होंने सीमा सुरक्षा बल सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कमांडेंट या द्वितीय कमान अधिकारी के पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ समूह 'क' में पंद्रह वर्ष सेवा की है और जिनके पास विशेष विधि के अधीन और संबंधित विधिक मामलों से विचारण संबंधी कम से कम दस वर्ष का विधिक अनुभव हो;

या

(ii) सेना, नौसेना, वायु सेना या संघ के किसी भी अन्य सशस्त्र बल के उपयुक्त सेवारत अधिकारियों में से समान अनुशासनात्मक संहिता वाले, न्यायाधीश महाधिवक्ता के विभाग में कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या समतुल्य पद के साथ, कमीशन या समूह 'क' में कम से कम पंद्रह वर्षों की सेवा की हो और विशेष विधि के अधीन सशस्त्र बलों और संबंधित विधिक मामलों से विचारण संबंधी कम से कम दस वर्ष का विधिक अनुभव हो;

या

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के उपयुक्त सेवारत सिविलियन अधिकारियों में से जो समूह "क" में कम से कम पंद्रह वर्ष की सेवा के साथ सदश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि, के साथ ही साथ संबंधित न्यायालयों के अधीन विचारणों में कम से कम दस वर्ष का विधिक अनुभव हो। वेतन मैट्रिक्स स्तर -12 (78800-209200 रुपये) में पांच साल की नियमित सेवा वाले अधिकारी, विधि में डिग्री रखने वाले, सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि के अधीन विचारण संबंधी कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित न्यायालय मामलों का कम से कम दस वर्ष का विधिक अनुभव और पंद्रह वर्ष की समूह 'क' में सेवा वाले इस श्रेणी में पात्र हैं;

या

(iv) ऐसा राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य जिसने पंद्रह वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और जिसे सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि के अधीन विचारण के साथ-साथ संबंधित न्यायालय मामलों में दस वर्ष का विधिक अनुभव हो।

टिप्पण-1: पोषक श्रेणी के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पूर्व सैनिकों के लिए:

(iii) पुनर्नियोजन:- (i) सशस्त्र बलों के ऐसे कर्नल या समतुल्य रैंक के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है; उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

-	(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति सर्गि जिसमें निम्नलिखित होंगे : -	नित (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता।
(1) महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;	
(2) संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय	- सदस्य;	·
(3) महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;	
(4) मुख्य विधि अधिकारी/महानि सीमा सुरक्षा बल	रीक्षक - सदस्य।	
पुनर्नियोजित अधिकारियों के लिए पर विचार करने के लिए) जिसमें	ए विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण निम्नलिखित होंगे:-	
(1) महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;	بيناهو

(2) संयुक्त सचिव	- सदस्य;			
गृह मंत्रालय				
(3) महानिरीक्षक	- सदस्य;			
सीमा सुरक्षा बल	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
(4) मुख्य विधि अधिकारी/महानिरीक्षक	् - सदस्य।			
सीमा सुरक्षा बल		 	·	

(1)	(2)	(3)	(4)
4.विधि अधिकारी ग्रेड- II/	15* (2023)	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर 11
उप कमांडेंट	* कार्यभार के आधार पर	समूह 'क', राजपत्रित,	(67700-208700 रुपये)।
	परिवर्तन किया जा सकता	अननुसचिवीय (योधक)	
	है।		·

(5)	(6)	(7)		
लागू नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं।	आवश्यक:		
होता।	(केन्द्रीय सरकार द्वारा	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में डिग्री के साथ		
•	जारी अनुदेशों या आदेशों	अधिवक्ता के रूप में सात वर्ष का विधिक अनुभव।		
	के अनुसार सरकारी	्. या		
	सेंवकों के लिए पांच वर्ष	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में मास्टर डिग्री		
	तक शिथिल की जा	के साथ अधिवक्ता के रूप में पांच वर्ष का विधिक अनुभव।		
•	सकती है।)			
	टिप्पण: आयु-सीमा	वांछनीय :		
	अवधारित करने के लिए	सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि के अन्तर्गत ट्रायल संबंधी		
	निर्णायक तारीख भारत	कार्रवाई के साथ ही साथ संबंधित न्यायालय मामलों के निपटान		
	में अभ्यर्थियों से आवेदन	का दो वर्ष का अनुभव। (ख) शारीरिक और चिकित्सा मानक:		
•	प्राप्त करने के लिए नियत	् (ख) शारारिक आर ।चाकत्सा मानक.		
	की गई अंतिम तारीख	पुरुष महिलाएं:		
	होगी (न कि वह अंतिम	पुरुष महिलाएं: उँचाई 165 सेमी 157 सेमी		
	तारीख जो असम,	सीना - 81 सेमी (बिना फुलाए) लागू नहीं होता		
	मेघालय, अरुणाचल	86 सेमी (फुलाकर)		
	प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	, , ,		
		वजन- 50 किलो लंबाई के अनुसार,किन्तु		
	नागालैंड, त्रिपुरा,	46 किग्रा से कम नहीं		
,	सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र	 नेत्र दृष्टि (चश्मे के साथ या बिना चश्मे के):-		
	लद्दाख, हिमाचल प्रदेश	नित्र दृष्टि (चरम के साथ या बिना चरम क):-		
	के लाहौल और स्पीति	दूर दृष्टि निकट दृष्टि		
	जिला और चंबा जिले का	पुर पृष्ट अच्छी आँख खराब आँख बेहतर आँख खराब आँख		
	पांगी उप खंड , अंदमान			
	और निकोबार द्वीप समूह	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	या लक्षद्वीप के लिए	या		
	विहित की गई है।	6/9 6/9 एन-6 एन-9		
	·	अभ्यर्थियों के मिले हुए घुटने, सपाट तलवे, वैरिकाज़ नस या आँखों में भेंगापन		
		नहीं होना चाहिए और उनका कलर विजन दृष्टि उच्च होनी चाहिए।		

अभ्यर्थियों की कलर विजन की जांच सीपी-III इश्हारा टेस्ट द्वारा व	को जाएगी।
उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और	किसी भी
शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए, जिससे ड्यूटी के सक्षमतापूर्वक	निष्पादन
में बाधा उत्पन्न हो सकती है।	

(8)	• (9)	(10)
लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती
		·

İ	(41)
i	(11)
-	0:)
- 1	लाग नहीं होता
	11 6 6 6 11

(12)		(13)	
समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -	पुष्टि पर विचार करने के	लागू नहीं होता।	
(1) महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;	·	
(2) संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय	- सदस्य;		
(3) महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य;		
(4) मुख्य विधि अधिकारी/महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य।		-

[फा. सं. 17/28/2010-कार्मिक/सीसुब] पी.एस. डंगवाल, उप सचिव (कार्मिक-ा)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2023

G.S.R. 20(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in supersession of the Border Security Force, Chief Law Officers and Law Officers Recruitment and Conditions of Service Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Law Officer, Additional Chief Law Officer and Law Officer in the Border Security Force, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Border Security Force, Chief Law Officer, Additional Chief Law Officer and Law Officer Recruitment and Conditions of Service Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

- 4. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc. The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matter relating thereto, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Disqualification.— No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and to other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **Superannuation.-** The age of superannuation of the Chief Law Officers and Law Officers shall be sixty years and shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years:
- 7. Seniority.- The Seniority of Law Officers shall be determined in accordance with the following rules, namely:-
 - (1) All officers holding a higher rank shall be senior to the officers holding a lower rank.
- (2) In a particular rank, seniority of officers appointed to any post shall be determined in accordance with the order of selection for appointment to that post.
- (3) Subject to the provisions of sub-rule (2), Inter-se-seniority amongst officers holding the same rank shall be as follows:-
 - (a) Seniority of officers promoted on the same day shall be determined in the order in which they are selected for promotion to that rank:
 - (b) Inter-se-seniority of direct recruits shall be arranged in the order of 'combined' merit which shall be determined after adding together the marks obtained by them in the competitive examination conducted by Border Security Force and the Basic Professional Course of the Border Security Force in the ratio of 50:50;
 - (c) In the case of direct recruits, the date of appointment shall be the date of joining the venue as mentioned in the offer of appointment;
 - (d) If two or more officers have secured equal marks in the combined merit, then, their order of merit shall be considered as per the order of their dates of birth;
 - (e) The seniority in cases of delay in reporting for training after selection shall be as under:-
 - an offer of appointment issued by the Ministry or Department shall be valid for a period of four weeks from the date for joining mentioned in the offer of appointment after which the offer would lapse automatically;
 - (ii) if, however, within the specified period of four weeks, a request is received from the candidate for extension of time and after due consideration by the Ministry of Home Affairs, he may be granted extension for a maximum period of two weeks in addition to the four weeks if facts and circumstances deem it necessary to do so and the candidates who join within a period of six weeks shall have their seniority fixed as per clause (c);
 - (iii) after the grant of extension of two weeks as stated in clause(ii), if a candidate fails to report within the stipulated time, (which shall not exceed a period of six weeks), the offer of appointment shall lapse automatically;
 - (iv) an offer of appointment which has lapsed, shall not ordinarily be revived, except in exceptional circumstances and on grounds of public interest to be recorded in writing, and only after obtaining the approval of the Ministry of Home Affairs;
 - (v) where the offer of appointment is revived under clause (iv), the seniority of candidates concerned shall be fixed above the candidates of the next selection examination, but, in case, such candidate joins after any of the candidate of the next selection examination has joined, he shall be placed below the last of such candidate;
 - (f) The seniority in case of delay in reporting for training shall be fixed in accordance with the provisions of items (i), (ii) and (iii) of clause (e).

- 4. Seniority of re-employed officers in a particular rank shall be determined from the date of their re-employment in that rank.
- 8. Medical fitness.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.
 - (2) SHAPE-I means Medical Category defined as under.-
 - (a) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function:-
 - S Psychological
 - H Hearing
 - A Appendages
 - P Physical Capacity
 - E Eye-Sight
 - (b) Functional capacity of an officer under each factor shall be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S₁H₁A₁P₁E₁. General evaluation of these numerals is as under,-
 - (i) fit for all duties anywhere;
 - (ii) fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears and eyes;
 - (iii) excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments;
 - (iv) temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.
 - (v) permanently unfit for duties.
- 9. Uniform and basic training.- Persons appointed under the provisions of these rules shall have to wear the uniform as specified in the Border Security Force Manual Volume-VII and the persons appointed from civil posts or Bar shall have to successfully complete twenty four weeks of basic training on their initial appointment in the field of law, office procedure, accounts and such other subjects as may be determined by the Director General Border Security Force.
- 10. Ineligibility of aliens. No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing be appointed or employed under these rules:
 - Provided that nothing contained in this rule shall bar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.
- 11. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 12. Saving.— Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4).
1. Chief Law Officer/	*01 (2023)	General Central Service, Group	Level 14
Inspector General	* Subject to variation	'A', Gazetted, Non-Ministerial	(Rs 144200-218200) in pay
	dependent on	(Combatised)	matrix.
	workload.	}	•

Whether Selection	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct	
post or non-		recruits	
Selection post.			
. (5)	(6)	(7)	
Selection	Not applicable	Not applicable	

Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	-	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption and percentage of the post to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for officers re- employed before the age of superannuation.	Promotion failing which deputation. For Ex-servicemen: Re-employment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

I. By promotion: Serving Additional Chief Law Officer/ Deputy Inspector General with two years of regular service in the level 13A (Rs.131100-216600/-) in the pay matrix with total twenty four years Group 'A' service.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is lesser, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

- II. By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories with two years of regular service in the level13A (Rs. 131100-216600/-) in the pay matrix with total twenty four years Group 'A' service:
- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;

or

- (b) (i) an officer of the rank of Major General or equivalent in the Department of Judge Advocate General in the Armed Forces of the Union, with minimum twenty four years of Group 'A' Service or Commissioned Service with twenty years of legal experience in dealing with trials under special law relating to Armed Forces as well as related court cases;
- (ii) a Law graduate, who is a member of the State Judicial Services for a period of not less than twenty years of legal experience in dealing with trials under special law relating to Armed Forces as well as related court cases and holding the post of District Judge or an equivalent post;
- (iii) a Central Government or State Government or Union territory officer having degree in Law and possessing a legal experience in dealing with trial under special law relating to Armed Forces as well as related court cases of not less than twenty years and holding the post of Additional Legal Advisor or equivalent for a period of not less than eight years.
- Note 1: The Departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.
- Note 3: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.

For Ex-servicemen:

III. Re-employment:- (i) The Armed Forces Personnel in the rank of Major General or equivalent due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment;

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. (12)		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
		(13)
Departmental Promotion Committee (for corconsisting of:-	nsidering promotion)	Not applicable.
(1) Home Secretary Ministry of Home Affairs	- Chairman;	
(2) Special Secretary(Internal Security), Ministry of Home Affairs	- Member;	
(3) Director General, Border Security Force	- Member;	
(4) One Director General from other Central Armed Police Forces (to be nominated by the Chairman)	- Member.	
Departmental Confirmation Committee (for conformation) for re-employed officers cons		
(1) Home Secretary Ministry of Home Affairs	- Chairman;	
(2) Special Secretary(Internal Security), Ministry of Home Affairs	- Member;	
(3) Director General, Border Security Force	- Member;	
(4) One Director General from other Central Armed Police Forces (to be nominated by the Chairman)	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Additional Chief	03*(2023)	General Central	Level 13A
Law Officer/ Deputy	* Subject to variation dependent on workload.	Service, Group 'A',	(Rs. 131100-
Inspector General.		Gazetted, Non-	216600) in
-		Ministerial	pay matrix.
	·	(Combatised)	

(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation

 $\overline{(11)}$

I. By promotion: - Serving Law Officer Grade-I/Commandant with two years regular service in the pay level 13 (Rs. 123100-215900/-) in the pay matrix with total of fifteen years of Group 'A' Service.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is lesser, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

- II. By deputation:- Officers of the Central Government or State Government or Union territories:
- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;

(b)(i) an officer of the rank of Brigadier or equivalent in the Department of Judge Advocate General in the Armed Forces of the Union, with minimum twenty years of Group 'A' Service or Commissioned Service with eighteen years of legal experience in legal affairs in dealing with trials under special law relating to Armed Forces as well as related court cases;

or

(ii) a member of the State Judicial Services for a period of not less than twenty years of Group 'A' service with eighteen years legal experience in dealing with trials under special law relating to Armed Forces as well as related court cases and holding the post of District Judge or an equivalent post;

or

- (iii) a Central Government or State Government or Union territory officer having degree in Law and possessing legal experience in dealing with trial under special law relating to Armed Forces as well as related court cases of not less than twenty years Group 'A' service with eighteen years legal experience and holding the post of Additional Legal Advisor or equivalent for a period of not less than eight years.
- Note 1: The Departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.
- Note 3: The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty—six years as on the closing date of receipt of application.

(12) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-		(13)	
		Not applicable.	
(1) Secretary/ Special Secretary Ministry of Home Affairs	- Chairman;		
(2) Director General Border Security Force	- Member;		
(3) One Director General from other Central Armed Police Forces (to be nominated by the Chairman	- Member;		
(4) Chief Law Officer/ Inspector Ger Border Security Force	neral - Member.		

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Law Officer	13* (2023)	General Central Service,	Level 13
Grade-I/		Group 'A', Gazetted, Non-	(Rs. 123100-215900) in pay
Commandant	* Subject to variation	Ministerial (Combatised)	matrix.
	dependent on workload.		·

(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)		(10)
Not applicable	Two years for officers	(i)	60% by promotion failing which deputation.
	reemployed before the age of superannuation.	(ii)	40% by deputation.
			For ex-servicemen:
		,	Re-employment

 $\overline{(11)}$

I. By promotion:- Serving Law Officer Grade-II/ Deputy Commandant with ten years regular service in the pay level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is lesser, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

- II. By deputation:- Officers of the Central Government or State Government or Union territories:
 - (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;

or

(b)(i) a law graduate holding the post of Commandant or Second-in-Command with five years regular service in Central Armed Police Forces including Border Security Force with fifteen years of Group 'A' service and having at least ten years legal experience in dealing with trials under special laws relating to Armed Forces as well as related court cases;

or

(ii) from suitable serving officers of Army, Navy, Air Force or any other Armed Force of the Union following an identical disciplinary Code, holding an analogous post of Colonel or Lieutenant Colonel or equivalent in the Department of Judge Advocate General with minimum fifteen years Commissioned or Group 'A' service and an experience of not less than ten years of legal experience in dealing with trials under special laws relating to Armed Forces as well as related court cases;

or

- (iii) from suitable serving civilian officers of Central Government or State Government or Union territory holding an analogous post with not less than fifteen years Group 'A' service and not less than ten years legal experience in dealing with trials under special Law relating to Armed Forces as well as related Courts. The officers with five years regular service in the level-12 (Rs.78800-209200/-) in the pay matrix, possessing a degree in law, at least ten years of legal experience in dealing with trials under special Law relating to Armed Forces as well as related Court cases and fifteen years Group 'A' service are eligible in this category;
- (iv) A member of the State Judicial Service having fifteen years regular service with ten years of legal experience in dealing with trials under special laws relating to Armed Forces as well as related court cases.

Note-1: The Departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.

Note-3: The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

For Ex-servicemen:

III. Re-employment:- (i) The Armed Forces Personnel in the rank of Colonel or equivalent due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Co promotion) consisting of:-	mmittee (for considering	Not applicable.
(1) Director General Border Security Force	- Chairman;	
(2) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs	- Member;	. ,
(3) Inspector General, Border Security Force	- Member;	
(4) Chief Law Officer/Inspector General Border Security Force	- Member	
Departmental Confirmation Committee confirmation) for re-employed Officers	(for considering consisting of:-	
(1) Director General Border Security Force	- Chairman;	
(2) Joint Secretary Ministry of Home Affairs	- Member;	
(3) Inspector General Border Security Force	- Member;	
(4) Chief Law Officer/Inspector General Border Security Force	- Member.	

(1).	(2)	(3)	(4)
4. Law Officer	15* (2023)	General Central Service, Group	Level 11 (Rs. 67700-208700) in
Grade-II/ Deputy	* Subject to variation	'A', Gazetted, Non-Ministerial	pay matrix.
Commandant	dependent on workload.	(Combatised)	

(5)	(6)	(7)	
Not applicable	Not exceeding 40 years. (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions	Essential: Bachelor degree in Law from a recognised University or Institute with seven years of legal experience as a Advocate.	
	or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit	or Master degree in Law from a recognised University of Institute with five years of legal experience as a Advocate.	
·	shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	Desirable: two years experience in dealing with trials und special law relating to Armed Forces as well related court cases. (b) Physical and Medical standard:	
	Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti-	Men: Women: Height - 165 Cms 157 Cms Chest - 81 Cms (un-expanded) Not applicable	

	district and Pangi Sub	86 Cms (expanded)	
	Division of Chamba district	Weight- 50 Kgs	According to height not
	of Himachal Pradesh,		less than 46 Kgs
1	Andaman and Nicobar		·
	Islands or Lakshadweep).	Eye sight (with or without glass	sses):-
		Distant vision	Near vision
	1.	Better eye Worse eye	Better eye Worse eye
		(Corrected Vision)	(Corrected Vision)
		6/6 6/12	
1		or	
		6/9 6/9	N-6 N-9
		or squint in eyes and they should candidates will be tested for colo They must be in good mental and	ock knees, flat foot, varicose vein d possess high colour vision. The ur vision by CP-III ISHARA test. d bodily health and free from any with the efficient performance of

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year	Direct Recruitment

{	
Not applicable	
7,05 dpp.10035	

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Confirmation confirmation) consisting of:-	Committee (for considering	Not applicable
(1) Director General Border Security Force	- Chairman;	
(2) Joint Secretary Ministry of Home Affairs	- Member;	
(3) Inspector General Border Security Force	- Member;	
(4) Chief Law Officer/ Inspector General Border Security Force	- Member.	

[F. No. 17/28/2010-Pers/BSF]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy. (Pers-I)